न्यायालय,समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0........................से........................

जिला–खगड़िया........................,सा0........................,सन्........................

केस का प्रकार:–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या–१९९/2018 राज्य बनाम थाना अलौली कांड संख्या:–122/2018

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
27.09.2018	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत थाना अलौली में दर्ज कांड संख्या:–122/2018 दिनांक 22.04.2018 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4550/हि0शा0, दिनांक 26.09.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, अलौली का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 750 एम0एल0 का 161 (एक सौ एकसठ) बोतल, 180 एम0एल0 का 950 (नौ सौ पचास) बोतल विदेशी शराब में से 750 एम0एल0 का 01 (एक) बोतल तथा 180 एम0एल0 का 03 (तीन) बोतल विदेशी शराब माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उत्पाद रसायन निरीक्षक बिहार पटना को जाँच हेतु भेजा गया है, तथा शेष 750 एम0एल0 का 160 बोतल तथा 180 एम0एल0 का 947 बोतल कुल–290.460 लीटर विदेशी शराब थाना अलौली के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना, अलौली के मालखाना में रखी गई कुल:–290.460 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना, अलौली में दर्ज कांड संख्या:–122/2018 कांडों के आधार पर जप्त की गई कुल–290.460 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, अलौली उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता, खगड़िया। समाहर्त्ता, खगड़िया।	

क्रम स0 और तारीख 1.	02.	गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03.
	डी0बी0 नं0 597 /विधि, दिनांक 27-9-18 प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, अलौली /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 27/9 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 27-9-18	